LLB Part - II

Paper - 1st

Family Law

मुस्लिम विधि का उद्गम एवं स्रोत :-

मुसलमान शब्द 'मुसल्लम-ईमान' शब्द से निर्मित होता है। कलमा में पूर्ण आस्था अर्थात "ला इलाह इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल उल्लाह" में आस्था इस कलमा का अर्थ है। पैगम्बर मोहम्मद अल्लाह के दूत हैं। विधि के प्रयोजन के लिए वह व्यक्ति मुस्लिम माना जाएगा जो तौहिद और रसूल में विश्वास करता है।

अमीर अली का कथन है कि जो कोई इस्लाम धर्मावलम्बी है अल्लाह के एकत्व और मोहम्मद के पैगम्बरी में विश्वास रखता है वह मुसलमान है।

यदि किसी व्यक्ति को अल्लाह या मुहम्मद की पैगम्बरी की हैसियत पर विश्वास नहीं है तो वह मुसलमान नहीं है अर्थात न्यायालय की नजर में वह व्यक्ति मुसलमान है जो अल्लाह

की एकता तथा हजरत मोहम्मद के पैगम्बर होने में विश्वास रखता हो। इसके अतिरिक्त वह भी काफिर है। मुसलमान है जिसके दोनों के सकल माता पिता मुसलमान रहे हो। भारतीय न्यायालयों का भी यह मत है कि किसी बच्चे के जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई एक भी यदि मुसलमान है परन्तु उसका लालन पालन मुसलमान की तरह हुआ हो वह मुसलमान है। यदि किसी बच्चे की माँ मुस्लिम पिता हिन्दू है और उसका पालन पोषण हिन्दू रीति से हुआ है तो वह हिन्दू ही माना जाएगा। जन्म से मुस्लिम को मुसलमान ही माना जाएगा जब तक स्वेच्छा से इस्लाम धर्म त्यागकर किसी अन्य धर्म को स्वीकार न कर ले। दूसरे धर्म को मानने वाला व्यक्ति यदि अपना धर्म त्यागकर किसी अन्य धर्म को स्वीकार न कर ले और अल्लाह की एकता और मोहम्मद साहब के पैगम्बर होने में आस्था रखता हो वह मुसलमान कहलाता है धर्म मुसलमान है।

मुस्लिम विधि का उद्भव अल कुरान से हुआ है जिसको अल्लाह की वाणी अनादि काल से माना जाता है। पैगम्बर ने खुद कहा है कि यह फरिश्ता जिब्राइल द्वारा विभिन्न भागों एवं विभिन्न अवसरों पर प्रकाशित किया गया। इसकी आयतें 'कलामे अल्लाह' होने की वजह से,

इस्लाम के इनके आखिरी पैगम्बर के द्वारा निष्कासक समझी जाती है। कुरान में विधि शास्त्र का भी समावेश है जो शरीअत का मुख्य आधार है।

'सुन्ना और अहादिस'

कुरान को इस दुनियाँ और दूसरी दुनियाँ के लिए मार्ग दर्शक माना जाता था। यद्यपि सुन्ना और हदिस अभिलेखबद्ध नहीं किये गए थे फिर भी समय-समय पर झगड़े तय करने में पैगम्बर साहब के उत्तरजीवी साथी इनके प्रयोग करते थे।

शरीअत के अन्तर्गत पाँच तरह के आदेश हैं:-

(i) प्रतिदिन पाँच बार नमाज पढ़ना फर्ज है जो सख्ती से मुसलमानों पर लागू है।

(ii) मुसलमानों को जो वर्जित है हराम कहलाता है। जैसे शराब पीना।

(iii) जिसे पालन करने की सलाह मुसलमान को दी गई है मन्दूब कहलाता है।

(iv) मकरूह- कभी भी मुसलमान को नहीं करने की सलाह मकरूह कहलाता है।

(v) जिसके प्रति इस्लाम उदासीन है जायज कहलाता है।

(vi) विधिशास्त्र के पूरा-पूरा ज्ञान फिकह कहलाता है। शरिअत के ज्ञाले खुदा और पैगम्बर के बनाये हुए और फिकह की इमारत इस्लाम की शिक्षा से बनी है।

मुगल आदि काल से वे आपराधिक मुकदमा का निराकरण मुस्लिम विधि के अनुसार किया जाता था। हिन्दू तथा मुसलमान दोनों पर मुस्लिम विधि ही लागू होता था।

इस समय की प्रचलित मुस्लिम विधि में अपराधों करने के ढंग को देखकर अपराधों की गहनता का निर्णय किया जाता था। हत्या के मामले में Mensrea का होना अति आवश्यक था। तात्कालीन मुसलीम विधि में चोर की चोरी सिद्ध होने पर हाथ काट लेने का दण्ड विधान था। अगर किसी ने हत्या कर दी तो मृतक के सम्बन्धियों को यह अधिकार था कि वह प्रतिशोध हत्यारे का हत्या करके या बदले में धनराशि प्राप्त कर ले। परन्तु प्राचीनतम भारत में सम्पूर्ण मुसलीम विधि को लागू नहीं किया गया। जो वैयक्तिक मामलों में लागू होते हैं।